समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Monday, 28 September 2026

सुप्रीम कोर्ट: यूपी के आपराधिक मामले मे अंदालते पैसे वसूलने की एजेटं नहीं बन सकतीं

Sanket Morankar Published on 23 Sep 2025

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि **अदालते किसी भी पक्ष के लिए पैसे वसूलने की एजेटं नहीं बन सकतीं।**

- यह आदेश **उत्तर प्रदेश के एक आपराधिक मामले** के संदर्भ में आया।
- कोर्ट ने रेखांकित किया कि न्यायपालिका का मुख्य काम **न्याय प्रदान करना है, न कि वसूली करना।**
- मामला **उत्तर प्रदेश** का है, जिसमें एक व्यक्ति के खिलाफ **किडनैपिंग का आरोप** लगाया गया था।
- विवाद उस समय पैदा हुआ जब **पैसे वसूलने को लेकर झगड़ा** सामने आया।
- आरोप था कि किसी ने पैसे की वसूली के लिए **कानूनी और आपराधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग** किया।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि **अदालत को पक्षकार के वित्तीय हितों की वसूली एजेसी नहीं बनना चाहिए।**
- अदालत ने स्पष्ट किया कि यह **न्यायिक प्रक्रिया के मूल सिद्धांतों के खिलाफ** होगा।
- कोर्ट ने जोर दिया कि **कानूनी वसूली के लिए अन्य विधिक साधन मौजूद है**, जैसे सिविल रिकवरी, मध्यस्थता और बैंकिंग माध्यम।
- वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि यह आदेश **न्यायपालिका की निष्पक्षता और संसाधनों की सुरक्षा** सुनिश्चित करता है।
- विशेषज्ञों का मानना है कि **अदालत केवल कानूनी आदेश और निर्देश जारी कर सकती है**, सीधे पैसे की वसूली नहीं।
- यह आदेश **वित्तीय और आपराधिक मामलों मे न्यायिक सीमाओं को स्पष्ट करता है।**
- मामले में अदालत ने नोट किया कि **किडनैपिंग का आरोप पैसे वसूलने के विवाद के दौरान उठाया गया।**
- सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि **अदालत का काम अपराधियों को सजा देना और कानूनी न्याय सुनिश्चित करना है**, पैसे की वसूली के लिए नहीं।

- इससे यह सुनिश्चित होता है कि **कानूनी प्रक्रिया और न्यायपालिका का दुरुपयोग** नहीं होगा।
- यह आदेश न्यायपालिका की **साख और निष्पक्षता** बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
- समाज में संदेश जाता है कि **अदालत केवल न्याय के लिए है, वसूली के लिए नहीं।**
- इससे भविष्य में अदालतों में **अनावश्यक मामलों का बोझ कम होगा** और न्याय प्रक्रिया तेज़ होगी।
- सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि **पैसे वसूलने के लिए कानूनी विकल्प मौजूद है**:
    1. सिविल कोर्ट में रिकवरी मामले
    2. अर्बिट्रेशन और मध्यस्थता प्रक्रिया
    3. बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से वसूली
- कोर्ट ने जोर दिया कि **पक्षकार इन विधिक रास्तों का पालन करे**, अदालत को सीधे पैसे वसूलने का एजेंट न बनाए।
- अदालत का मुख्य उद्देश्य **न्याय प्रदान करना और निष्पक्ष सुनवाई करना** है।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि **पक्षकार के वित्तीय हितों की वसूली अदालत के दायित्व मे नंहीं आती।**
- इससे न्यायपालिका का संतुलन और संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित होता है।

सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश यह स्पष्ट करता है कि **अदालते पैसे वसूलने की एजेटं नहीं बन सकतीं।**

- यूपी के आपराधिक मामले में यह फैसला **किडनैपिंग और पैसे वसूलने के विवाद** के संदर्भ में आया।
- आदेश न्यायपालिका की **साख, निष्पक्षता और संसाधनों के संरक्षण** के लिए महत्वपूर्ण है।
- भविष्य में यह आदेश **व्यापारिक और आपराधिक मामलों मे मार्गदर्शन** का काम करेगा और अदालतों पर अनावश्यक बोझ को कम करेगा।

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय न्यायपालिका के **मूल कार्य और कानूनी प्रक्रिया की सीमाओं** को स्पष्ट करता है, जिससे किसी भी पक्ष का दुरुपयोग रोकना संभव होगा।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Sanket Morankar, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.